N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0139 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 04/06/2025 21:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 28/04/2025 Date To (दिनांक तक): 03/06/2025
   Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:57 बजे Time To (समय तक): 11:09 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/06/2025 Time (समय): 17:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक एवं समय) 04/06/2025 21:28:39 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 380 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): KARYALYA BLOCK PARIYOJANA PRABANDHAK RAJEEVIKA VIBHAG, DUNGALA
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** INDRA BAI BUNKAR

(b) **Wife's Name (पत्नी का नाम):** OM PRAKESH BUNKAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM SEMLIYA, DUNGALA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM SEMLIYA, DUNGALA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MAMTA KUMARI		पत्नी:HEERALAL MALI	1. GRAM SATKHANDA,NIMBAHERA,CHITTORGARH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		2,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 2,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चितौडगढ़। विषय- कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत महोदय जी उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै प्रार्थीया इन्द्रा बुनकर w/o श्री ओम प्रकाश जी निवासी गॉव सेमलिया तहसिल डुंगला चितौडगढ की रहने वाली हु पंचायत समिति डुंगला मे राजस्थान की ग्रामीण आजविका विकास परिषद द्वारा स्वंय सहायता समुह चलाया जाता है उस स्वंय सहायता समुह में लखपति दीदी योजना व पशु सखी योजना में पंचायत समिति डुंगला में कार्य करती हु वहां पर कार्यरत BPM मैडम ममता माली ने इस योजना से जो मेरे मासिक 2000 रू आते है। पिछले महिने तीन महीनों की एक साथ मेरे सेलरी आई 6000/- रूपये उस 6000/-रूपये में से 2500/-रू BPM मैडम ममता माली द्वारा रिश्वत के मेरे से मांग कर बार बार परेशान किया जा रहा है मै BPM मैडम ममता माली को 2500/- रूपये नही देना चाहती हु तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहती हु BPM मैडम ममता माली से मेरी आपस में कोई दुश्मनी व रंजिश नही है। ना ही कोई उदार लेने देने बाकी है रिपोर्ट करती हु। कानुनी कार्यवाही करावे। दिनाक - 2/6/25 प्रार्थीया इन्द्रा बुनकर गॉव सेमलिया तहसील डूंगला जिला चितौडगढ़ मो-[redacted] कार्यवाही पुलिस कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तोड़गढ़ महोदय, मामला इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 28.04.2025 को समय करीब 01.57 पी0एम0 पर दर्ज रहे कि दिनांक 28.04.2025 को परिवादिया श्रीमति इन्द्रा निवासी डूंगला ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से मुख्यालय के टोल फ्री नम्बर 1064 पर कॉल कर बताया कि राजीविका विभाग में मैं व मेरे साथ 4 अन्य महिलायें लखपति दीदी योजना में स्वयं सहायता समूह के रूप में काम कर रही है। जिसमें हम गॉव की महिलाओं को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने हेतु मीटिंग आयोजित करते हैं जिसके बदले में हमें महिने के 2000/-रूपये मिलते हैं। अभी मुझे व मेरी 4 महिला साथियों को तीन महिने के 6000/-रूपये खाते में जमा हुये है। राजीविका डूंगला की बीपीएम ममता हमारे को आगे सेवामें लगातार बनाये रखने की एवज में उक्त 6000/-रूपये में से 4000-4000/-रूपये रिश्वत मांग रही है। मेरे से 1500/-रूपये ले चुकी है। अब 2500/-रूपये और मांग रही है। नहीं देने की स्थिति में हमें काम से हटाने की धमकी दे रही है। जिस पर परिवादिया ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपनी परिचित महिला श्रीमति प्रेम कंवर के मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल कर उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की तथा कहा कि अभी इसके निजी कार्य होने से तथा बीपीएम को देने के लिये पैसा नहीं होने से कार्यवाही के लिये वह स्वयं ही सूचित कर देगी। एसीबी हैल्प लाईन से भी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादिया की शिकायत के बारे में सूचित किया गया जिन्हें अवगत कराया गया कि परिवादिया से वार्ता की गई है। परिवादिया को हिदायत मुनासिब की गई। इसके बाद दिनांक 30.05.2025 को समय करीब 04.32 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 श्री सुनील कुमार नं0 264 को तलब कर उक्त परिवादिया के मोबाईल नम्बर देकर उससे सम्पर्क कर ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना का पता कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने के निर्देश दिये गये। इसके बाद समय करीब 05.20 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुनील कुमार ने बताया कि मैंने समय 5.16 पीएम पर परिवादिया श्रीमति इन्द्रा से उनके मोबाईल पर वार्ता की जिस पर परिवादिया ने बताया कि शनिवार व रविवार को राजीविका कार्यालय में अवकाश रहता है। आप सोमवार को आकर कार्यवाही के लिये मुझसे आकर मिल लेना। कानि0 सुनील कुमार को हिदायत की गई कि आगामी सोमवार दिनांक 02.06.2025 परिवादिया से सम्पर्क कर मय डीवीआर के राजीविका कार्यालय डूंगला जाकर संदिग्ध आरोपिया के विरूद्ध कार्यवाही हेतु परिवादिया को डीवीआर चालू व बन्द करने की समझाईस कर उससे रिपोर्ट प्राप्त कर परिवादिया के साथ जाकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करे। इसके बाद दिनांक 02.06.2025 को समय करीब 06.00 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोर्ट भीलवाड़ा से फारीक होकर कार्यालय पहुंचा जहां पर श्री सुनील कुमार कानि0 उपस्थित मिला। श्री सुनील कुमार कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादिया का प्रार्थना एवं डीवीआर प्रस्तुत कर बताया कि मैंने आज सुबह परिवादिया के मोबाईल नम्बर [redacted] पर समय करीब 7.05 एएम पर वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु समय करीब 8.00 एएम पर डीवीआर मय खाली मैमोरी कार्ड साथ लेकर कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 10.00 एएम पर पहुंच कर समय करीब 10.30 एएम पर परिवादिया से वार्ता की जिस पर परिवादिया समय 11.30 एएम पर डूंगला बस स्टैण्ड पर आकर मेरे से मिली। मैंने परिवादिया को अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय प्राप्त किया। परिवादिया ने एक हस्तलिखित शिकायत प्रस्तुत की

जिसे मैंने सुरक्षित अपने पास रखा। इसके बाद परिवादियो को डीवीआर चालू व बंद करने की समझाईस कर समय 1.00 पीएम पर उसे डीवीआर सुपुर्द कर राजीविका कार्यालय के लिये रवाना कर मैं भी परिवादिया के पिछे-पिछे जाकर राजीविका कार्यालय के आस-पास पहुंच अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादिया के आने का इन्तजार करने लगा। समय करीब 1.28 पीएम पर परिवादिया बाद सत्यापन के मेरे पास आयी जिस पर मैंने डीवीआर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादिया ने बताया कि मेरी बीपीएम श्रीमति ममता से रिश्वत राशि के संबंध में वार्ता हो गई है जिसे मैंने आपके कार्यालय के डीवीआर में रिकार्ड कर लिया। परिवादिया ने मुझे बताया कि बीपीएम श्रीमति ममता ने मुझे कल रिश्वत राशि 2500/-रूपये लेकर बुलाया है जिस पर आपके पूर्व निर्देशानुसार परिवादिया को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कल दिनांक 03.06.2025 को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर डूंगला ही मिलने की कह कर रूखसत किया गया तथा मैं डूंगला रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आया हूं। परिवादिया के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर शामिल कार्यवाही किया गया तथा डीवीआर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपिया द्वारा परिवादिया से रिश्वत राशि की मांग करने की स्पष्ट पुष्टि हुई। अग्रिम कार्यवाही हेतु गवाहान की तलबी की जावेगी। डीवीआर व परिवादिया के प्रार्थना पत्र को सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। इसके बाद समय करीब 06.30 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहन की आवश्यकता होने से अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग चित्तौडगढ के नाम तहरीर देकर कानि. श्री सुनील कुमार को रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 07.00 पी0एम0 पर श्री सुनील कुमार कानि0 हमराह दो स्वतंत्र गवाह मय सिंचाई विभाग का पत्रांक 1368 दिनांक 02.06.2025 लेकर उपस्थित आया जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम श्री शैलेन्द्र सिंह झाला, कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग चित्तौडगढ होना बताया व दूसरे गवाह ने अपना नाम श्री इम्तियाज हुसैन हाल अनुरेखक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग चित्तौडगढ होना बताया। तत्पश्चात् परिवादिया की रिपोर्ट पर ट्रेप कार्यवाही के संबंध में दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहन ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी जाने पर परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहन को पढ़ कर सुनाया गया व दिखाया गया। दोनो गवाहान ने परिवादिया के प्रार्थना पत्र अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दोनो स्वतंत्र गवाहानों को कार्यालय के डिवीआर में रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को चालू कर मुख्य अंशों को सुनाया गया तो दोनों गवाहानों ने रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि होना बताया। इस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कल दिनांक 03.06.2025 को 7.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ़ पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता पृथक से तैयार की जावेगी। समस्त स्टाफ को भी गोपनीय कार्यवाही हेतु कल दिनांक 03.06.2025 को 7.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ़ पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। डीवीआर व परिवादिया के प्रार्थना पत्र को सुरक्षित कार्यालय में रखा गया। श्री सुनील कुमार कानि0 को हिदायत दी गई कि जरिये दूरभाष वार्ता कर गोपनीय कार्यवाही हेतु नगर परिषद चित्तौड़गढ़ से कल दिनांक 03.06.2025 को सुमय 07.00 एमम पर एक राजकीय वाहन मय चालक के भिजवाने हेतु सम्पर्क करें। इसके बाद दिनांक 03.06.2025 को समय करीब 07.00 ए0एम0 पर तलविदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री शैलेन्द्र सिंह झाला, कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग चित्तौडगढ व श्री इम्तियाज हुसैन हाल अनुरेखक कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग चित्तौडगढ व स्टाफ के सदस्य कार्यालय में उपस्थित आये है तथा नगर परिषद चित्तौडगढ़ से चालक श्री रफीक मोहम्मद निवासी गांधीनगर चित्तौडगढ़ मय राजकीय वाहन जिप्सी नम्बर आरजे 09 यूबी 0144 उपस्थित आये। जिन्हें कार्यालय में ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। इसके बाद समय करीब 7.30 एएम पर स्टाफ के सदस्य श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि, श्री सुनील कुमार कानि0 व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर को नगर परिषद चित्तौडगढ़ के राजकीय वाहन से बजानिब परिवादिया के गॉव सेमलिया-डूंगला की तरफ रवाना कर इनके साथ-साथ मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री शैलेन्द्र सिंह झाला व श्री इम्तियाज हुसैन ट्रेप पार्टी सदस्य श्री ओमप्रकाश सउनि, महिला कानि0 श्रीमति आशा को हमराह ले मय सरकारी डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेर सिह एवं प्रवीण सिंह कानि0 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर प्रवीण सिंह कानि0 के पास रखवा कर हमरा ले ट्रेप कार्यवाही हेतु जरिये सरकारी वाहन ट्वेरा के परिवादिया के गॉव सेमलिया-डूंगला की तरफ रवाना रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 8.50 एएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री शैलेन्द्र सिंह झाला व श्री इम्तियाज हुसैन ट्रेप पार्टी सदस्य श्री ओमप्रकाश सउनि, महिला कानि0 श्रीमति आशा के बिलोदा-डूंगला के मध्य पहुंचे जहां पर श्री दलपत सिंह एएसआई, श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि, श्री सुनील कुमार कानि0 व श्री सन्दीप कुमार कानि0 एवं महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर उपस्थित मिले वाहनों को साईड में खड़ा करवा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहन श्री शैलेन्द्र सिंह झाला व श्री इम्तियाज हुसैन व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि0, श्री सुनील कुमार कानि0 व महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर मय श्री प्रवीण सिंह कानि0 के फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी साथ लेकर मय सरकारी डिवीआर मय

मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री जरिये नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के राजकीय वाहन परिवादिया के गॉव सेमलिया के लिये रवाना होते हुए शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों को डूंगला कस्बे में पहुंचने की हिदायत कर वहीं इन्तजार करने की कह कर रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 9.10 एएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री शैलेन्द्र सिंह झाला व श्री इम्तियाज हुसैन व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि0, श्री सुनील कुमार कानि0 व महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर मय श्री प्रवीण सिंह कानि0 के फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मय सरकारी डिवीआर मय मैमोरी कार्ड के मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री जरिये नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के राजकीय वाहन परिवादिया के गॉव सेमलिया पहुंचा जहां पर परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई अपने निवास पर मिली। परिवादिया को अपना परिचय देकर उससे उसका परिचय प्राप्त कर परिवादिया का दोनों गवाहान से आपस में परिचय करवाया तथा परिवादिया को दिनांक 02.06.2025 को श्री सुनील कुमार कानि0 को दिया गया प्रार्थना पत्र पढ़ कर सुनाया व दिखाया गया तो परिवादिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र स्वयं का हस्तलिखित होना बताया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के डीवीआर को चालु कर मुख्य अंशो को सुनाया गया तो इसमें परिवादिया ने एक आवाज अपनी व दुसरी आवाज श्रीमती ममता कुमारी बीपीएम की होना बताया। परिवादिया से मजीद दरियाफ्त करने पर बताया कि राजीविका विभाग में मैं व मेरे साथ 4 अन्य महिलायें लखपति दीदी योजना एवं पशु सखी में स्वयं सहायता समूह के रूप में काम कर रही है। जिसमें हम गॉव की महिलाओं को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने हेतु मीटिंग आयोजित करते हैं जिसके बदले में हमें महिने के 2000/-रूपये मिलते हैं। अभी मुझे व मेरी 4 महिला साथियों के तीन महिने के 6000/-रूपये खाते में जमा हुये है। राजीविका डूंगला की बीपीएम श्रीमती ममता कुमारी हमारे को आगे सेवामें लगातार बनाये रखने एवं काम नही हटाने की एवज में उक्त 6000/-रूपये में से 4000-4000/-रूपये रिश्वत मांग रही है। मेरे से 1500/-रूपये पहले ले चुकी है। अब 2500/-रूपये और मांग रही है। परिवादिया ने यह भी बताया कि मैंने दिनांक 28.04.2025 को अपनी परिचित महिला श्रीमति प्रेम कंवर के मोबाईल नम्बर [redacted] से आपको कॉल कर उक्त सारी बात बतायी थी। मेरी बीपीएम श्रीमती ममता से कोई आपसी रंजिश नही है एवं ना ही कोई उधार का लेन-देन बकाया है। मैं बीपीएम श्रीमती ममता को रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहती हुं। इसके बाद समय करीब 9.20 एएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादिया श्रीमती इन्द्र्रा बाई पत्नी श्री ओम प्रकाश बुनकर उम्र 34 वर्ष निवासी सेमलिया तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ़ हाल लखपति दीदी एवं पशु सखी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादिया श्रीमती इन्द्र्रा बाई ने अपने पास से निकालकर पॉच-पॉच सौ रूपये के 05 नोट कुल दो हजार पांच सौ रूपये पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त समस्त नोटो पर श्री प्रवीण सिंह कानि0 को मालखाने से प्राप्त शुदा स्वय के पास रखी हुई फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी से को निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर निर्देशानुसार श्रीमती टीना कंवर द्वारा परिवादिया के पर्स की तलाशी लिवाई जाकर उक्त पर्स में कोई वस्तु नहीं होने पर उक्त पाउडर युक्त नोटों को परिवादिया के उक्त पर्स में श्री प्रवीण सिंह कानि0 से रखवाये गये। श्री सुनिल कुमार कानि0 से एक साफ प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री प्रवीण सिंह कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपिया द्वारा परिवादिया से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगी तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपिया ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री प्रवीण सिंह कानि0 से बाहर फिंकवाकर फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को साथ लेकर बाद फारिक कार्यवाही के एसीबी चौकी चित्तौडगढ के लिए रवाना होने के निर्देश दिये। इसके उपरान्त उपरोक्त डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट कराया। परिवादिया को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपिया के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादिया को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने मोबाईल से श्री सुनिल कुमार कानि0 के मोबाईल पर कॉल कर निर्धारित ईशारा करें। श्री सुनिल कुमार कानि0 को हिदायत दी गई कि परिवादिया श्रीमती इन्द्रा बाई के रिश्वत राशि देने का कॉल कर निर्धारित ईशारा करने पर अपने सिर पर दोनो हाथ फिरा कर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के उपस्थित सदस्यों को समझाया गया तथा श्री सुनिल कुमार कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व नये डिस्पोजल गिलास पेकेट ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान,

परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादिया तथा आरोपिया के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादिया श्रीमती इन्द्रा बाई को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपिया से होने वाली वार्तालाप को ट्रेप करें। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी सरकारी मोबाईल से श्री सुनिल कुमार कानि0 से करवायी गई। परिवादिया, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री प्रवीण सिंह कानि0 के दोनो हाथों को साफ-पानी व साबुन ने धुलवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामील कार्यवाही की गई। इसके बाद समय करीब 09.45 एएम पर श्री प्रवीण सिंह कानि0 को फिनोलफ्लीन पाउडर की शीशी के साथ ब्यूरो कार्यालय चित्तोड़गढ पर जाने के लिये परिवादिया के गॉव सेमलिया (डूंगला) में ही छोड़ कर परिवादिया को हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री शैलेन्द्र सिंह झाला व श्री इम्तियाज हुसैन व ट्रेप पार्टी सदस्य श्री जितेन्द्र सिह हेड कानि0, श्री सुनील कुमार कानि0 व महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर मय लेपटॉप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक स्टेशनरी लेखन सामग्री जरिये नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के राजकीय वाहन परिवादिया के गॉव सेमलिया से रवाना डूंगला की तरफ हुआ। इसके बाद समय करीब 10.50 एएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पंचायत समिति डूंगला से पहले पहुंच नगर परिषद चित्तौडगढ़ के वाहन को साईड में खड़ा करवाया जहां पर निर्देशानुसार श्री दलपत सिंह सउनि, श्री ओम प्रकाश सउनि, श्री सन्दीप कुमार कानि0 व म0कानि0 श्रीमती आशा कुमारी मय् सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 के उपस्थित मिले परिवादिया को आवश्यक हिदायत देकर पैदल पैदल ही कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला जिला चित्तौडगढ के लिए रवाना किया। परिवादिया के पिछे-2 श्री सुनिल कुमार कानि0 व श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को को भी उक्त कार्यालय की तरफ रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के पैदल-पैदल रवाना हो कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला के आस-पास अपनी-2 उपस्थिति छिपाते हुए परिवादिया के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। इसके बाद समय करीब 11.15 एएम पर दर्ज रहे कि परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई बुनकर पत्नी श्री ओमप्रकाश बुनकर उम्र 34 वर्ष जाति बुनकर निवासी समेलिया पिला खेड़ा पुलिस थाना डूंगला तहसील डूंगला जिला चित्तौडगढ हाल लखपति दीदी/ पशु सखी कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डूंगला जिला चित्तौडगढ ने कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डूंगला के अन्दर बैठी हुई पूर्व निर्धारित इशारा अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से कानि. श्री सुनिल कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर बताया कि आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला जिला चित्तौडगढ ने 2500 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर लिये जाने से संबंधित मोबाईल कॉल द्वारा पूर्व निर्धारित इशारा समय करीब 11.09 ए.एम. पर किया जिस पर कानि. श्री सुनिल कुमार ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व दोनो स्वतन्त्र गवाहान जो अपनी उपस्थिति छिपाते हुए आस-पास छिपे हुये थे जिन्हे कानि. सुनिल कुमार द्वारा अपने हाथ सिर पर फेरने का इशारा किया जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने देखकर तेज कदमो से चलते हुए कानि. श्री सुनिल कुमार के पास पहुचे जिसे साथ लेते हुए कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डूंगला कमरा नम्बर 02 लिखा हुआ था जिसमें प्रवेश किया तो कमरे के अन्दर परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई बैंच पर बैठी हुई मिली जिससे डिजीटल वोईस टेप रिकार्डर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. द्वारा प्राप्त कर डिजीटल वोईस टेप रिकार्डर को बंद कर सुरक्षित अपने पास रखवाया गया तथा सामने टेबल एवं कुर्सी पर एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई से पूछा कि आपने अभी 2500 रूपये किसको दिये है तो परिवादिया ने कक्ष में कुर्सी पर बैठी हुई महिला जो सलवार सूट पहने हुई की ओर इशारा करते हुए बताया कि यही बीपीएम मैडम है जिन्होने मेरे से मेरे वेतन लेने के ऐवज में कल दिनांक 02.6.2025 को आमने-सामने हुई बातचित में इन्होने मेरे से 2500 रूपये मांगे थे जो मैने इनकी मांग के अनुसार अभी-अभी इनको 2500 रूपये दिये है जो इन्होने अपने दाहिने हाथ में लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपने बैग के बाहर वाली चैन को खोलकर मेरे सामने रखे है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान का परिचय देते हुए आने का मन्तव्य से अवगत करवाते हुए आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी बीपीएम से उनका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम ममता कुमारी पत्नी श्री हीरालाल माली जाति माली उम्र 31 वर्ष निवासी सतखण्डा पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (सीएलएम) कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डूंगला जिला चित्तौडगढ होना बताया तथा साथ में अपना पुत्र चार्विक जो करीब 02 वर्ष का है जो मेरे से अलग नहीं रह सकता है इसलिए मेरे साथ है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपिया के एक हाथ को महिला कानि. आशा कुमारी एवं दूसरे हाथ को महिला कानि. टीना कँवर द्वारा पोचो से उपर कलाई को पकड़वाई गई तथा तत्पश्चात आरोपिया से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई की तरफ ईशारा करते हुए पूछा गया कि क्या तुम इसे जानती हो तथा इससे आपने रिश्वत राशि 2500 रूपये किस बात के लिये है। जिस पर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी ने बताया कि इनका नाम इन्द्रा बाई है और यह हमारे विभाग में लखपति दीदी के पद पर

दिनांक 01.11.2024 से एव पशु सखी के पद पर दिनांक 10.10.2024 से कार्य कर रही है तथा कल दिनांक 02.06.2025 को समय करीब एक-सवा एक बजे दिन में मेरे पास इन्द्रा बाई आई थी और मुझ से लखपति दीदी योजना एवं पशु सखी योजना में बनाये रखने एवं तीन माह का वेतन/मानदेय से प्राप्त राशि के संबंध में बातचित की थी तो मैने इन्द्रा बाई को कहा कि आप दो-तीन महिने डयूटी पर नहीं आई थी और आप कम लिखी पढी हो ऑन लाईन कार्य किसी अन्य महिला से करवाने के लिए मैने इनसे 2500 रूपये मांगे थे जो अभी कुछ समय पूर्व मुझे मेरे कार्यालय कक्ष में दिये है जो मैने प्राप्त कर गिनकर मेरे निजी बैग में रखे है। जो बैग मे ही पड़े है। मैने कोई गलत काम नहीं किया है मैने तो इनका कार्य दूसरी महिला से करवाने के लिये है। उक्त कथनो के संबंध में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित परिवादिया से पूछा तो परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई ने बताया कि मैडम झूठ बोल रहे है मैं नियमित रूप से लखपति दीदी एवं पशु सखी के पद पर कार्य कर रही हूं। इनके द्वारा मेरा वेतन संबंधित कार्य करने के ऐवज में मेरे से पूर्व में 4,000 रूपये मांगे थे जो मेरे द्वारा पूर्व में 1500 रूपयें दिये थे एवं कल दिनांक 02.06.2025 को समय करीब एक-डेढ बजे दिन में मेरे को लखपति दीदी योजना एवं पशु सखी योजना में बनाये रखने एवं तीन माह का वेतन/मानदेय के ऐवज में कार्यालय कक्ष में बातचित हुई थी जिसमें इन्होने मेरे से 2500 रूपये लेना तय हुआ। उक्त बातचित को मैने ब्यूरो के टेप रिकॉर्ड मे रिकॉर्ड की थी। उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार एवं इनकी मांग के अनुसार इनको मैने 2500 रूपये इनके द्वारा मांगने पर मैने इनके कक्ष में यही पर दिये थे जो इन्होने मेरे से प्राप्त कर गिनकर इनके बैग में चैन खोलकर रखे है जो अभी इनके बैग मे ही है। उक्त परिवादीया के कथन के संबंध में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को पुनः पूछा कि आपने श्रीमति इन्द्रा बाई से 2500 रूपये किस बात के लिये है तो आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी ने बताया कि मैने उक्त 2500 रूपये इन्द्रा बाई की जगह दूसरी महिला से इनका ऑन लाईन कार्य कराने के लिये है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपिया से पूछा कि आप ऑन लाईन कार्य इन्द्रा बाई का किस महिला से करवाते है जिसको यह 2500 रूपये देना होता है तो आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी ने बताया कि अभी मुझे उक्त महिला का नाम याद नहीं है कोई भी हो सकती है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई से आरोपिया द्वारा बताये गये कथनो के संबंध में पूछा तो परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई ने बताया कि मैडम झूठ बोल रही है। इन्होने मेरे से एवं मेरे अलावा अन्य कई महिलाये जो मेरी तरह लखपति दीदी एव पशु सखी के पद पर कार्य कर रही है उनसे भी इन्होने दो-दो हजार रूपये एवं चार-चार हजार रूपये लिये है तथा मेरे को लखपति दीदी योजना एवं पशु सखी योजना में बनाये रखने एवं तीन माह का वेतन/मानदेय के ऐवज में कल दिनांक 02.06.2025 को मांग सत्यापन के दौरान 2500 रूपये लेना तय हुआ था। उक्त मांग अनुसार मैने इनको अभी इनके कक्ष में देने के बाद मैने मेरे मोबाईल से ब्यूरो के कानि. श्री सुनिल कुमार के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत राशि ग्रहण करने का इशारा किया था। परिवादिया के उक्त कथनो के संबंध में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को पूछा तो बताया कि उक्त रूपये मैने मेरे लिये है और किसी के लिये नहीं लिये है मैं संविदा कार्मिक हू मेरी नियुक्ति सीएलएम पद पर दिसम्बर 2023 में हुई थी मुझे माफ कर दो, मेरा बच्चा अभी 02 वर्ष का है। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी सीएलएम द्वारा परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई से लखपति दीदी योजना एवं पशु सखी योजना में बनाये रखने एवं तीन माह का वेतन/मानदेय के ऐवज में रिश्वत राशि 2500 रूपयें मांग कर ग्रहण करने की रिश्वत राशि के बारे में प्रमाणिकता होने पर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी सीएलएम की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु सरकारी वाहन मे से श्री संदीप कुमार कानि से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया। ट्रेप बॉक्स में सें दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में श्री दलपत सिंह सहायक उप निरीक्षक से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (सीएलएम) के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक (सीएलएम) के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (सीएलएम) की जामा तलाशी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार महिला कानि. टीना कॅवर से लिवाई गई तो शरीर पर पहने हुये कपड़ो के अलावा कोई वस्तु दस्तायाब नहीं हुई और न ही कब्जे ब्यूरो ली गई। आरोपिया द्वारा अपनी स्वेच्छा से बताया कि श्रीमति इन्द्रा बाई से प्राप्त किये गये 2500 रूपये मेरे निजी बैग मे रखे हुये है और बैग कार्यालय कक्ष में आरोपिया के पास पड़ा हुआ कि और इशारा कर बताया तथा आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (सीएलएम) द्वारा बैग की चैन खोलकर 2500 रूपये निकाले गये जो गवाह श्री शैलेन्द्र सिंह झाला हाल

कनिष्ठ सहायक को दिलवाये गये तो 500-500 रूपयें के कुछ नोट मिले जिसके संबंध में आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (सीएलएम) ने स्वयं ने कहा कि यही वो राशि है जो मैने श्रीमति इन्द्रा बाई से ली थी। उक्त रिश्वत राशि आरोपिया की निशादेही से बरामद हुई उपरोक्त राशि 500-500 के पांच नोट मिले जिनको स्वतन्त्र गवाहन से गिनवाया जाकर फर्द पेशकशी नोट नम्बर से मिलान किया गया तो 500-500 के पांच नोट कुल 2500/- रूपये राशि हुबहु हुये जो निम्नानुसार है - क्र.सं. नोटो का विवरण नोटो के नम्बर 01. एक नोट 500/- रूपये का 3FG693129 02. एक नोट 500/- रूपये का 1HT453243 03. एक नोट 500/- रूपये का 5SB555102 04. एक नोट 500/- रूपये का 3GL711478 05 एक नोट 500/- रूपये का 0KW656436 तत्पश्चात् बरामद शुदा उक्त नोटों पर एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया तथा आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (सीएलएम) के बैग के उपर रोनक लिखा हुआ बरंग मैरून के बाहर की तरफ लगी हुई चैन के अन्दर से रिश्वत राशि 2500 रूपये बरामद होने से उक्त बैग की तलाशी में मिले सामान एवं नगद राशि को आरोपिया के पति श्री हीरा लाल को लौटाये जाने हेतु जरिये मोबाईल सूचना दी गई तथा तीसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में श्री दलपत सिंह सहायक उप निरीक्षक से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में उक्त बैग जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुई उस जगह के धोवन हेतु रूई के फोये को गिला कर उक्त बरामदगी जगह में रगड़ कर उक्त रंगहीन घोल में रूई के फोये को धुलवाया गया तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त घोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क B-1 व B-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त बैग के उपर रोनक लिखा हुआ बरंग मैरून के रिश्वत राशि बरामदगी की जगह संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त बैग को सफेद कपड़े की थैली में श्री ओमप्रकाश सहायक उप निरीक्षक एवं श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि. द्वारा सिल्डचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त की गई तथा उक्त तीनो प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास उपयोगशुदा को एवं उक्त रूई के फोये को सुखा कर जला कर नष्ट किया गया। तत्पश्चात् आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (सीएलएम) को परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई के पशु सखी एवं लखपति दीदी से संबंधित दस्तावेज एवं उपस्थिति रजिस्टर चाहे जाने आरोपिया ने अपने कार्यालय कक्ष में पड़ा हुआ मूल उपस्थिति रजिस्टर वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 लिखा हुआ पेश किया जिसमें कार्यालय का नाम बीपीएमयू डूंगला लिखा हुआ जो बमाह दिसम्बर 2024 से जून 2025 जिसमें दो कार्मिक के नाम लिखे हुये है जिसमें एक नाम ममता कुमारी माली सीएलएल (बीपीएम) एवं दूसरा नाम ममता सालवी पीए-एमआईएस नाम लिखा हुआ जिसमें ममता कुमारी माली सीएलएम के आज दिनांक 03.6.2025 के कॉलम में हस्ताक्षर किये हुये एवं श्रीमति ममता कुमारी सालवी पीए-एमआईएस के दिनांक 02.06.2025 तक के कॉलम में हस्ताक्षर किये हुए एवं आज दिनांक 03.06.2025 के कॉलम में हस्ताक्षर नहीं किये गये पाया गया उक्त रजिस्टर के जून 2025 के पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर कर उक्त मूल उपस्थिति रजिस्टर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई से संबंधित आवेदन पत्र के संबंध में तलाश करने पर नहीं मिलने पर कार्यालय में पदस्थापित श्रीमति ममता सालवी पीए-एमआईएस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी के मोबाईल नम्बर [redacted] द्वारा समय करीब 11.38 ए.एम. पर कॉल कर बुलाया गया जिस पर श्रीमती ममता सालवी पीए-एमआईएस उपस्थित कार्यालय आई जिसको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो श्रीमति ममता सालवी ने अपना नाम ममता सालवी पत्नी श्री चंदन सालवी उम्र 34 वर्ष जाति सालवी निवासी इन्द्रा कॉलोनी बड़ी सादड़ी पुलिस थाना बड़ी सादडी जिला चित्तौडगढ हाल पीए-एमआईएस कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला जिला चित्तौडगढ मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। उपस्थित श्रीमति ममता सालवी पीए-एमआईएस ने परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई के पशु सखी से संबंधित आवेदन पत्र मूल एवं ऑन लाईन आवेदन की प्रति निकाल कर प्रस्तुत की जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया तो उक्त पशु सखी आवेदन दिनांक 10.10.2024 को किया जाना एवं लखपति दीदी से संबंधित आवेदन प्रथम बार दिनांक 01.4.2024 को किया गया तथा फिर दुबारा दिनांक 01.11.2024 को किया जाना पाया गया बाद अवलोकन उक्त ऑन लाईन आवेदन की प्रति एवं मूल आवेदन मय सलंग्न जन आधार कार्ड की प्रति, बैंक ऑफ बड़ौदा बचत खाता पास बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति सलंग्न शुदा के प्रत्येक पेज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये। उक्त आरोपियो के दोनो हाथो के धोवन कर शिशियों को सिलचिट करने, बैग के धोवन कर शिशियों को सिलचिट करने व रिश्वत राशि को सिलचिट करने से संबंधित वीडियो सरकारी मोबाईल से श्री सुनिल कुमार कानि. द्वारा बनाया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि मौके पर ही पृथक से तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 12.30 पी.एम पर फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी की लिखापढ़ी पूर्ण कर सिलचिट शुदा आयटम हमरा लेकर कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डूंगला के कमरा नम्बर 02 का ताला लगवा कर कमरे की चाबी श्रीमति ममता सालवी को सुपुर्द कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्रीमति ममता कुमारी व आरोपिया के पुत्र श्री

चार्विक मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के राजकीय वाहनों से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पास ही स्थित कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग डूंगला के लिये रवाना हुये। इसके बाद समय करीब 12.35 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्रीमति ममता कुमारी मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के राजकीय वाहनों से कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग डूंगला पहुंचे व अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। इसके बाद समय करीब 12.40 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 02.06.2025 को समय 1.00 पी.एम. पर परिवादी श्रीमति इन्द्रा बुनकर व संदिग्ध आरोपिया ममता कुमारी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला जिला चित्तौडगढ राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) के मध्य आरोपी के कार्यालय में हुई रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिवीआर को लेपटॉप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री संदीप कुमार कानि. 83 से पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 03.30 पीएम पर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर व श्रीमति आशा कुमारी की निगरानी में छोड़ कर एवं शेष जाप्ते को छोड़ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई व स्टाफ के श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सुनील कुमार कानि0 व श्री सन्दीप कुमार कानि0 के मय लेपटॉप व प्रिन्टर व आवश्यक स्टेशनरी के जरिये सरकारी ट्वेरा मय चालक के घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार करने कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन डूंगला से रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 03.55 पी.एम पर उपरोक्ता फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के घटना स्थल पर पहुंच परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर फर्द घटना स्थल पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर उपरोक्तानुसार घटना स्थल से रवाना हो कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन डूंगला पर पहुंचा। अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद समय करीब 04.00 पीएम पर श्रीमति ममता कुमारी पत्नी श्री हीरालाल माली जाति माली उम्र 31 वर्ष निवासी सतखण्डा पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (सीएलएम) कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डूंगला जिला चित्तौडगढ को उसके विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित) 2018 के अपराध से आगाह किया जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों व बीएनएसएस के प्रावधानों से अवगत करा कर हस्वकायदा गिरफ्तार किया गया एवं आरोपिया का पुत्र 02 वर्ष का होकर बिना माँ के नहीं रह सकता है इसलिए आरोपिया के पुत्र श्री चार्विक को आरोपिया के साथ रखा गया तथा आरोपिया की गिरफ्तारी की सूचना उसके पति श्री हीरा लाल को दी गई। फर्द गिरफतारी पृथक से हस्व कायदा मुर्तीब कर सम्बधित को पढ़कर सुनाई जाकर सही होना मान अपने-2 हस्ताक्षर किए। इसके बाद समय करीब 04.15 पीएम पर अब तक की कार्यवाही पूर्ण की गई एवं शाम का समय नजदीक होने व आरोपिया महिला होने से अग्रिम कार्यवाही एसीबी चित्तौड़गढ़ पर जाकर किया जाना उचित होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी मय परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई मय जाप्ते तथा जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्स सिलचिट शुदा रिश्वत राशि, धोवण की शिशियां, बैग का पैकेट इत्यादि को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहनों से कार्यालय सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग डूंगला से से एसीबी चित्तोड़गढ़ के लिये रवाना हुआ। इसके बाद समय करीब 05.40 पीएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियानों के एसीबी कार्यालय चित्तोड़गढ़ पहुंचा। जप्त शुदा समस्त आर्टिकल्स सिलचिट शुदा रिश्वत राशि, धोवण की शिशियां, बैग का पैकेट इत्यादि को मालखाने में जमा करने हेतु मालखाना ईन्चार्ज श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को सुपुर्द कर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को महिला कानि0 टीना कंवर की निगरानी में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 05.50 पीएम पर पूर्व तलविदा श्री चन्द्र शेखर शर्मा, जिला प्रबन्धक (आईबी एण्ड एचआर) राजीविका चित्तौड़गढ़ कार्यालय में उपस्थित हैं जिन्होंने आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी माली की प्रथम नियक्ति, जोईनिंग रिपोर्ट व सीएलएम के पद पर डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ पर पदस्थापन आदेश इत्यादि सेवाभिलेख पेज संख्यां 01 से 30 तक प्रमाणित कर पेश किया। उक्त रिकार्ड को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। श्री चन्द्र शेखर शर्मा को जाने की इजाजत दी गई। इसके बाद समय करीब 06.10 पीएम पर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी माली को अपनी आवाज का नमूना देने हेतु कार्यालय का पत्रांक 1230 दिनांक 03.06.2025 दिया गया जिस पर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी माली ने मूल पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर अंकित किया कि मैं मेरी आवाज रिकार्ड नहीं करवाना चाहती हू। उक्त मूल पत्र को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 06.30 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 03.06.2025 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्रीमति इन्द्रा बुनकर व संदिग्ध आरोपिया ममता कुमारी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला जिला चित्तौडगढ राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) के मध्य आरोपी के कार्यालय में हुई रूबरू रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हुई जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त डिवीआर को लेपटॉप से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री संदीप कुमार कानि. 83 से पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 07.35 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 02.06.2025 को समय 1.00 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई व संदिग्ध आरोपिया ममता कुमारी ब्लॉक

परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला जिला चित्तौडगढ राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) के मध्य आरोपी के कार्यालय में हुई रूबरू वार्ता तथा दिनांक 03.06.2025 को 10.59 एएम पर परिवादी को डिवीआर सुपुर्द करते डिवीआर चालु होकर बंद जिसमें कोई संबंधित वार्ता नही तथा दिनांक 03.06.2025 को ही 11.00 एएम पर परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई व संदिग्ध आरोपिया ममता कुमारी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला जिला चित्तौडगढ राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) के मध्य आरोपी के कार्यालय में हुई रूबरू वार्ता रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त तीनो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कार्यालय के डिवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित थी उक्त डीवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर तीन पेन ड्राईव सेनडीस्क कंपनी बरंग लाल काला 32 जीबी मे लेकर सुरक्षित किया गया 01 पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु 01 पेन ड्राईव आरोपी हेतु जिनको पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा 01 पेन ड्राईव जो अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव श्री संदीप कुमार कानि. 83 से पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 07.50 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 02.06.2025 को समय 1.00 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई व संदिग्ध आरोपिया ममता कुमारी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला जिला चित्तौडगढ राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) के मध्य आरोपी के कार्यालय में हुई रूबरू वार्ता तथा दिनांक 03.06.2025 को 10.59 एएम पर परिवादी को डिवीआर सुपुर्द करते डिवीआर चालु होकर बंद जिसमें कोई संबंधित वार्ता नही तथा दिनांक 03.06.2025 को ही 11.00 एएम पर परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई व संदिग्ध आरोपिया ममता कुमारी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका विभाग डुंगला जिला चित्तौडगढ राजीविका (राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद) के मध्य आरोपी के कार्यालय में हुई रूबरू वार्ता रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जिसे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त तीनो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कार्यालय के डिवीआर में लगे KDM 32 जीबी बंरग काला मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है जिसकी हैश वैल्यू निकाल कर पृथक से संलग्न की गई। उक्त मैमोरी कार्ड को डिवीआर में से निकालकर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क-M दिया गया कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जब्ती मुल मैमोरी कार्ड श्री संदीप कुमार कानि. 83 से पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 08.05 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 03.06.2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौराने सरकारी मोबाइल में लगे मेमोरी कार्ड में दृष्टान्त ,बरामदगी रिश्वत राशि ,हाथ-धुलाई व अन्य के ऑडियो-विडियो रिकॉर्ड किया गया था उक्त ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग जो कार्यालय के सरकारी मोबाइल में लग KDM 32 जीबी बंरग काला मेमोरी कार्ड में सुरक्षित थी उक्त मोबाइल को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर दो पेन ड्राईव सेनडिस्क कंपनी बरंग लाल काला 32 जीबी मे लेकर सुरक्षित किया गया 01 पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा 01 पेन ड्राईव जो अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। फर्द डबिंग पेन ड्राईव श्री संदीप कुमार कानि. 83 से पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 08.30 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 03.06.2025 को ट्रेप कार्यवाही के दौराने सरकारी मोबाइल में लगे मेमोरी कार्ड में दृष्टान्त ,बरामदगी रिश्वत राशि ,हाथ-धुलाई व अन्य के ऑडियो-विडियो रिकॉर्ड किया गया था उक्त ऑडियो-विडियो रिकॉर्डिंग जो कार्यालय के सरकारी मोबाइल में लग KDM 32 जीबी बंरग काला मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है जिसकी हैश वैल्यू निकाल कर पृथक से संलग्न की गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाइल में से निकालकर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क- M1 दिया गया कपडे की थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जब्ती मुल मैमोरी कार्ड श्री संदीप कुमार कानि. 83 से पृथक से मूर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 08.50 पीएम पर परिवादिया श्रीमती इन्द्रा बाई ने राजीविका विभाग द्वारा उसे दिनांक 13.11.2024 से दिनांक 12.05.2025 तक किये गये मानदेय भुगतान के स्टेटमेन्ट की प्रति स्वय द्वारा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की है जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय करीब 09.00 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादिया को रूखसत देकर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी का मेडिकल करवाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली चित्तोड़गढ़ की हवालात में जमा कराने हेतु तहरीर दी जाकर महिला कानि0 श्रीमति आशा कुमारी, श्री प्रवीण कानि0 के जरिये सरकारी ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के रवाना किया गया। नगर परिषद चित्तौडगढ़ के राजकीय वाहन जिप्सी नम्बर आरजे 09 यूबी 0144 मय चालक श्री रफीक मोहम्मद निवासी गांधीनगर चित्तौडगढ़ को रूखसत दी गई। इसके बाद समय करीब 10.25 पीएम पर उपरोक्त फिगरा के रवाना शुदा महिला कानि0 श्रीमति आशा कुमारी, श्री प्रवीण कानि0 के जरिये सरकारी ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी का मेडिकल करवा कर पुलिस थाना कोतवाली चित्तोड़गढ़ की हवालात में जमा करा कर हाजिर कार्यालय आये। इसके बाद दिनांक 04.06.2025 को समय करीब 08.20 एएम पर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को पुलिस थाना कोतवाली चित्तोड़गढ़ से लाने हेतु महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर, श्री प्रवीण कानि0 के जरिये सरकारी ट्वेरा मय चालक श्री शेर सिंह के रवाना किया गया। इसके बाद समय करीब 8.40 एएम पर उपरोक्त फिगरा का रवाना शुदा महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर, श्री प्रवीण कानि0 के जरिये सरकारी ट्वेरा मय चालक श्री शेर

सिंह के आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को पुलिस थाना कोतवाली चित्तोड़गढ़ से लेकर ब्यूरो कार्यालय चित्तैड़गढ़ पर उपस्थित आये। गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर एवं श्रीमती आशा की निगरानी में कार्यालय में बिठाया गया। इसके बाद समय करीब 12.05 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ओम प्रकाश एएसआई, श्री सन्दीप कुमार कानि0, महिला कानि0 श्रीमति टीना कंवर, महिला कानि0 श्रीमति आशा कुमारी के मय गिरफ्तार शुदा आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश करने हेतु रवाना होकर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चित्तौड़गढ़ के समक्ष पेश किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपिया को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश प्रदान किये जाने पर आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी को उसके पुत्र श्री चार्विक के हमराह जिला कारागृह चित्तौडगढ में नियमानुसार दाखिल करवाया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अब तक की गई कार्यवाही से श्रीमति ममता कुमारी पत्नी श्री हीरालाल माली जाति माली उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम सतखण्डा पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ हाल कलस्टर लेवल मैनेजर ब्लॉक(सीएलएम)/ ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (बीपीएम), संविदाकर्मी, कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) विभाग डूंगला जिला चित्तौडगढ द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादिया श्रीमति इन्द्रा बाई से लखपति दीदी योजना एवं पशु सखी योजना में बनाये रखने एवं तीन माह का वेतन/मानदेय के ऐवज में रिश्वत राशि 2500 रूपयें मांग कर ग्रहण करना पाया गया है। रिश्वत राशि दौराने कार्यवाही श्रीमति ममता कुमारी हाल कलस्टर लेवल मैनेजर ब्लॉक(सीएलएम)/ ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (बीपीएम), संविदाकर्मी, कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) विभाग डूंगला जिला चित्तौडगढ के स्वय के बैग बरंग मैरून के बाहर की चैन से 2,500 रूपयें बरामद हुये। आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी हाल कलस्टर लेवल मैनेजर ब्लॉक(सीएलएम)/ ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (बीपीएम), संविदाकर्मी, कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) विभाग डूंगला जिला चित्तौडगढ का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी पत्नी श्री हीरालाल माली जाति माली उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम सतखण्डा पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ हाल कलस्टर लेवल मैनेजर ब्लॉक(सीएलएम)/ ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (बीपीएम), संविदाकर्मी, कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) विभाग डूंगला जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण दर्ज करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है। (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमति ममता कुमारी पत्नी श्री हीरालाल माली जाति माली उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम सतखण्डा पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ हाल कलस्टर लेवल मैनेजर ब्लॉक(सीएलएम)/ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (बीपीएम), संविदाकर्मी, कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) विभाग डूंगला जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ऋषिकेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाडा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 644 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान)पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 807-10 दिनांक 04-06-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, चित्तौडगढ। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3- शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं राज्य मिशन निदेशक, राजिविका, जयपुर।4 - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौडगढ। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RISHIKESHKESH MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date. 04/06/2025 21:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है I)